

पत्रांक-श्रम क०सं०-19/2025 (अंश) 124

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन), 2024 के तहत 03 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रू 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) व 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नंबर	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सिकंदर मांझी, 43, जय गोविंद मांझी, अनुसूचित जाति	रेखा देवी (पत्नी) 954395620869	5281 09.12.2025	ग्राम-पूर्वी लोहानीपुर, वार्ड-36, पो०-कदमकुआं, थाना-कदमकुआं जिला-पटना 8969758748	29571 01000 35483	UNION BANK UBIN082 9579	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, भवन निर्माण में राजमिस्त्री का कार्य
2	स्व० अनुज यादव, 48, बहादुर राय, पिछड़ा वर्ग	सविता देवी (पत्नी) 821729365810	5307 10.12.2025	ग्राम+पं०-रामनगर करारी, पो०+थाना-अथमलगोला जिला-पटना 9262986893	31650 01700 01870 5	PNB PUNB03 16500	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
3	स्व० दिलीप बिंद, 46, जंगली बिंद, पिछड़ा वर्ग	आशा देवी (पत्नी) 654646108144	5472 20.12.2025	ग्राम-टेशलाल वर्मा नगर, पो०-बी०भी० कॉलेज, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना 9065783565	75770 00100 00918 7	PNB PUNB07 57700	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० अर्जुन रविदास, 64, जगेंसर रविदास, अनुसूचित जाति	भोला देवी (पत्नी) 993058001201	5477 20.12.2025	ग्राम-केवड़ा, वार्ड-02, पो०-केवड़ा, थाना-पुनपुन, जिला-पटना 8873919870	29470 00100 14173 5	PNB PUNB02 94700	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, भवन निर्माण में राजमिस्त्री का हेल्पर
5	स्व० केदार प्रसाद, 49, मानीक चंद्र प्रसाद, पिछड़ा वर्ग	सुनैना देवी (पत्नी) 532463867821	5478 20.12.2025	ग्राम-मझौली, पं०-बेहरावा, वार्ड-13, पो०-कल्याणपुर, थाना-पीपड़ा, जिला-पटना 7870444918	29090 00101 67010 2	PNB PUNB02 90900	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
6	स्व० मिथिलेश राय, 38, मच्छु राय, पिछड़ा वर्ग	मजू देवी (पत्नी) 538882517325	3932 20.08.2025 एवं 3424 18.07.2025	ग्राम-राघोपुर, वार्ड-25, पो०+थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना 9525540017	35928 10001 7467	BOB BARBOB AKHTI	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में मजदूरी का कार्य

कुल राशि :-रू० 4,80,000/-

(चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र

कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(रोहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-19/2025(अंश)-124 पटना, दिनांक :- 30/01/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, पटना /उप श्रमायुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

30/01/2026  
Signed by Rohit Kumar  
Date: 30-01-2026 11:46:10

(रोहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

Signed by Rajesh Bharti  
Date: 02-02-2026 11:03:41  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक